

हाईकोर्ट में अधिकारियों, कर्मचारियों वकीलों को मास्क पहनना अनिवार्य

बिलासपुर | कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हाईकोर्ट परिसर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। सोमवार 9 जून से हाईकोर्ट की सभी बेंचों में नियमित सुनवाई शुरू हो रही है। इसके साथ ही महाधिवक्ता कार्यालय और अन्य दफ्तरों का कामकाज भी शुरू होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट प्रशासन ने एडवायजरी जारी की है। प्रभारी रजिस्ट्रार जनरल खिलावन राम रिगरी के आदेश से सोमवार को सर्कुलर जारी किया गया है। इसमें हाईकोर्ट आने वाले सभी अधिकारी, कर्मचारी, अधिवक्ता, क्लर्क और पक्षकारों से मास्क, स्कार्फ या रूमाल का उपयोग करने का आग्रह किया गया है। साथ ही समय-समय पर सैनिटाइजर के उपयोग और अनावश्यक भीड़ से बचने की सलाह दी गई है।